25.पोकरराम पुत्र श्री उरजाराम
26.बाबूराम पुत्र श्री कुम्बाराम
27.बाबूराम पुत्र श्री भीयाराम
28.मनुराम पुत्र श्री भीयाराम
जातियान जाट निवासी सिल्ली
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
29.गंगाराम पुत्र श्री केसुराम
30.सुखाराम पुत्र श्री केसुराम
31.सहदेव पुत्र श्री केसुराम
जातियान मेघवाल निवासी सिल्ली
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
32.श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित –

प्रार्थीगण की ओर से– अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी।

प्रतिवादी संख्या 1, 5, 8, 15, 18 से 20 एवं 30 व 31की ओर से अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी।

प्रतिवादी संख्या 2 से 4, 6, 7, 9 से 14, 16, 17, 21 से 29 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रतिवादी संख्या 32 की ओर से सरकारी पैरोकार।

<u>–::निर्णय::–</u>

दिनांकः–18/1/2021

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 135/4 रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 135/2 रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 135/1 रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 135/3 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा, मौजा ग्राम सिल्ली, पटवार हल्का किंजरी, तहसील ओसियां जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर एक खातेदार काश्तकार की हैसियत से लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के उक्त भूमि के दक्षिण–पश्चिम दिशा में थोड़ी दूरी पर सड़क चलती है। प्रार्थीगण की भूमि व सड़क के मध्य खसरा नम्बर 108/3 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा जो अप्रार्थी संख्या 30 से 32 की खातेदारी भूमि है तथा खसरा नम्बर 138 रकबा 48 बीघा 04, खसरा नम्बर 137 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 136 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 से 29 की खातेदारी व कब्जा काश्त की आई हुई है। इस भूमि के दक्षिण पश्चिम तरफ सड़क चलती है। जिस तक आवागमन हेतु प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की भूमि में से एक रास्ता चलता है जो कि प्रार्थीगण के खेत से सबसे नजदीक निकटतम व लघुतम है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं चलता है। अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थीगण के खेत के दक्षिणी दिशा में आई हुई है उक्त भूमि की दक्षिण पश्चिम सीमा पर सड़क चलती है एवं नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गया रास्ता ए से बी प्रार्थीगण का लघुतम व निकटतम रास्ता है। जहां से ही प्रार्थीगण आवागमन करते है। उक्त रास्ता पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ इसलिए अप्रार्थीगण अपनी मनमर्जी से उक्त रास्ते को बन्द कर देते है जिससे प्रार्थीगण को भयंकर समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थीगण को मजबूरन यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना पड़ रहा है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ते हेतु भूमि बाबत् प्रतिकर निर्धारित करने पर प्रार्थीगण प्रतिकर देने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 135 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 135/4 रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 135/2 रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 135/1 रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 135/3 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा, मौजा ग्राम सिल्ली, पटवार हल्का किंजरी, तहसील ओसियां जिला जोधपुर में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 30 से 32 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 108/3 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा व अप्रार्थी संख्या 1 से 29 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 138 रकबा 48 बीघा 04, खसरा नम्बर 137 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 136 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा में से 20 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार दिये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में

सहायक कलेक्टर, ओसियां

अमल दरामद करवाया जाकर नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें।

यह है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1, 5, 8, 15, 18 से 20 एवं 30 व 31 की ओर से अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी उपस्थित अप्रार्थी संख्या 2 से 4, 6, 7, 9 से 14, 16, 17, 21 से 29 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

यह है कि भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट तलब की गई। भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 02.09.2020 को प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की गई जिस पर अप्रार्थी अधिवक्ता ने आपत्ति पेश की, आपत्ति को स्वीकार किया एवं पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का आदेश दिया दिनांक 16.12.2020 को मौका रिपोर्ट पुनः प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल किया अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि खसरा संख्या 136, 137, 138, 139, 140 एवं खसरा संख्या 141 के खातेदार काश्तकार लुम्बाराम, जेठाराम पुत्रान मोतीराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। खसरा संख्या 135 के खातेदार काश्तकार अपील खातेदारी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए खसरा संख्या 138 में से होते हुए खसरा संख्या 138 एवं 139 की बीच बनी माठ के सहारे सहारे खसरा संख्या 139 में से होते हुए सरकारी भूमि तक आते जाते है। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि खातेदार प्रार्थीगण लुम्बाराम, जेठाराम पुत्रान मोतीराम ने खसरा संख्या 136, 137, 138, 139, 139/1, 140, 141 एवं 141/01 में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 24 पुनाराम पुत्र खरताराम को बेचान कर दिया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। उपरोक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जाने आने के लिए लघुतम निकटतम रास्ता है।

यह है कि वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 108/8 एवं 138 में से यदि रास्ता दिया जाता है के उक्त खसरान दो भागों में विभक्त हो जाते है इसलिए उक्त खसरान के खातेदारो को समस्या का सामना करना पड़ेगा इसलिए न्यायहित में खसरा नम्बर 108/3, 108/8, 138, 137, 136 की उत्तरी सीमा पर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 135/4 की उत्तरी सीमा तक रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 135/4 रकबा 14

Scanned with CamScanner

बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 135/2 रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 135/1 रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 135/3 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा, मौजा ग्राम सिल्ली, पटवार हल्का किंजरी, तहसील ओसियां जिला जोधपुर में आवागमन हेतु खसरा नम्बर108/3, 108/8, 138, 137, 136 की उत्तरी सीमा 14 फीट चौड़ा रास्ता घोषित किया जाता है जिसका रकबा निर्धारित किया जाकर वर्तमान डी.एल.सी. की दो गुना दर से प्रतिफल की राशि प्रार्थीगण से जमा की जाकर तहसीलदार ओसियां राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर नक्शा ट्रेश में तरमीम की कार्यवाही करें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को पत्र जारी हो पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 18/1/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner